न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

विविध विकास मित्र वाद सं०- 302/2018

कुमारी पूजा बनाम सुरेन्द्र प्रसाद

4·2·19

अपीलार्थी कुमारी पूजा, पति–धीरेन्द्र कुमार, ग्राम–कनबेहरी, प्रखण्ड–औरंगाबाद ने इस न्यायालय में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत ओरा के विकास मित्र चयन में अनियमितता हुई है। अनियमितता को इस स्तर से उजागर किया है और कहा है कि जिस पंचायत का मुखिया महिला हो, उस पंचायत का विकास मित्र भी महिला होगी। ग्राम पंचायत ओरा में विकास मित्र के पद पर सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–चौठी दास, ग्राम–भरवार, प्रखण्ड–औरंगाबाद का चयन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर अर्जी के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद से संबंधित अभिलेख की मांग की गई एवं प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किय गया।

अपीलार्थी कुमारी पूजा, पति–धीरेन्द्र कुमार, ग्राम–कनबेहरी, प्रखण्ड–औरंगाबाद की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत ओरा के विकास मित्र के पद पर चयन हेतु वर्ष 2016 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन पत्र समर्पित किया था और मेधा सूची के अनुसार प्रथम स्थान पर थी, उन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार जिस ग्राम पंचायत की मुखिया महिला हो, उस पंचायत का विकास मित्र भी महिला होगी, परन्तु उक्त पंचायत के विकास मित्र के पद पर सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–चौठी दास, ग्राम–भरवार, प्रखण्ड–जिला–औरंगाबाद का चयन कर दिया गया जो गलत है। उन्होंने कहा कि इस अनियमितता के विरूद्ध अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष वाद लाया गया, परन्तु उनके स्तर से इस निदेश के साथ वाद को निष्पादित कर दिया गया कि परिवादी का विषय वस्तु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 (क) के अन्तर्गत परिवाद की श्रेणी में नहीं आता है और सक्षम पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देने का निदेश दिया गया। अन्त में विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि गलत ढंग से चयनित विकास मित्र सुरेन्द्र प्रसाद का चयन रद्द करते हुए अपीलार्थी कुमारी पूजा का चयन करने का आदेश दिया जाय। अभिलेख का परिशीलन किया। प्रतिवादी सुरेन्द्र प्रसाद को इस न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस अंचल अधिकारी, औरंगाबाद को पत्रांक–2319/विधि, दिनांक–27.07.2018 द्वारा भेजा गया जो सुरेन्द्र प्रसाद ने प्राप्त किया है। फिर भी इस न्यायालय में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी कुमारी पूजा द्वारा इस न्यायालय में दायर अर्जी के अंतिम पृष्ट में मदनपुर अंचल से अभिलेख की मांग करने हेतु अनुरोध किया गया है। यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि चयन प्रखण्ड–औरंगाबाद के लिए किया गया है तो मदनपुर अंचल से इसका क्या ताल्लुक है। विकास मित्र के चयन में अनुमण्डल पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को आदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन/प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुए विकास मित्र के पद पर चयन सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

4·2·19

जिला दंडाधिकारी,
औरंगाबाद।

4·2·19

जिला दंडाधिकारी,
औरंगाबाद।